न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

96

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3697–दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11–06–2012 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 52/स्वमेव निगरानी/2004–05/निगरानी

.....

डॉ. सुभाषचन्द राय पुत्र श्री गोरपत राय,
निवासी– पंचमनगर कालोनी चन्देरी, तहसील
चन्देरी व जिला– अशोकनगर (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला
अशोकनगर (म0प्र0) .....अनावेदक

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 4–11–2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला–अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–06–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्याालय में संहिता की धारा 57 के तहत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि चन्देरी स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 655 रकबा 1.620 है0 में से 0.23 है0 भूमि संलग्न से नक्शे अनुसार भवन का भूमि स्वामी घोषित किया जाये। भवन निर्माण के बाद बटवारा होने के बाद पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण की गई थी, पटवारी द्वारा निर्मित भवन सर्वे नं0 659 में स्थित ही बताया गया। उक्त आवेदन पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2001 को समस्त वैधानिक प्रक्रिया का पालन उपरांत, जिसमें सार्वजनिक उद्घोष्णा जारी की गई तथा पंटवारी, राजस्व निरीक्षक,

नजूल से प्रतिवेदन मांगा गया। उद्घोषणा के बाद कोई आपत्ति नहीं आने पर विधिवत आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक शासन द्वारा प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जहॉ प्रकरण क्रमांक 52/स्वमेव निगरानी/2004–05/निगरानी पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 11.06.2012 से निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक शासन के अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के तर्क सुने गये । आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों तथा अभिलेख की विस्तृत विवेचना करते हुये, आदेश पारित किया था । परन्तु कलेक्टर, अशोकनगर ने केवल यह कारण दर्शाते हुये कि अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी ने ग्राम चंदेरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 659 रकबा 1.620 है0 में से रकबा 3504 वर्गफीट को संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये है । आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन बिन्दूओं पर विचार ही नहीं किया, जिन बिन्दूओं का अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में वर्णन किय था । आवेदक के अभिभाषक का अगला तर्क है कि स्वप्रेरणा में लिये जाने के आदेश के पूर्व स्वप्रेरणा में किये जाने बावत वरिष्ठ न्यायालया से विधिवत स्वीकृति के बिना आदेश दिया, इसलिये सम्पूर्ण आदेश अधिकारिता विहीन होने से शून्य है। अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने जो आदेश दिये थे, वे न्यायोचित आदेश थे । उनका यह भी तर्क है कि कलेक्टर ने स्वप्रेरणा निगरानी पर विचार करते समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कतई गौर नहीं किया, जिसमें आवेदक ने स्पष्ट रूप से अभिवचन किया था कि, उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती शीला राजा पत्नी श्री रन्धीर सिंह परमार, निवासी वार्ड क्रमांक 11 तहसील चन्देरी, जिला–अशोकनगर को दिनांक 06.02.2007 को किया जा चुका है । उनका तर्क है कि स्वप्रेरणा में कये जाने की निर्धारित समय सीमा जो की उससे बाहर था । स्वप्रेरणा में किये जाने की समय सीमा निर्धारित, जो समय सीमा है अवलोकन को फुल बैंच माननीय उच्च न्यायलय का निर्णय में 180 दिन बताया गया है । अतः कलेक्टर, अशोकनगर के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाये एवं अनुविभागीय अधिकारी, चन्देरी के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाये एवं निगरानी स्वीकार किया जाये।

5/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी ने ग्राम चंदेरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 659 रकबा 1.620 है0 में से रकबा 3504 वर्गफीट को संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये है ।

7/ कलेक्टर, अशोकनगर ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि रिकार्ड पर उपलब्ध इश्तहार, उजरदारी का निर्वहन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार नहीं किया गया, इसलिये कोई आपत्ति पेश नहीं । यहॉ तक पटवारी ग्राम द्वारा सर्वे क्रमांक 659 मिन रकबा 1.620 है0 पठार में से रकबा 0.023 है0 पर मकान बना मौके पर पंचों ने बताया कि 15–16 साल पूर्व का मकान बना हुआ है । विवादित भूमि पर अनावेदक का कब्जा दिनांक 02.10.1959 के पूर्व का अस्तित्व में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष तथ्यात्मक न होने से कपाल कल्पित है। अतएव उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अनियमित व अवैध पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/अ–1/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2001 अनियमित एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किया है ।

8/ मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 57(1)(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि समस्त भूमियों में राज्य का स्वत्व (1) समस्त भूमियां राज्य सरकार की है और एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियां जिनमें रूका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खान, पत्थर क खदानें, खनिज पदार्थ तथ वन चाह व रक्षिर हों या नहीं, सम्मिलित है तथा किसी भूमि को अधोमृदा में समस्त अधिकारी राज्य सरकार की सम्मपत्ति है:– परन्तु इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति के किसी ऐसी सम्पत्ति में के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर जो इस कोड के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व रहे हो प्रभाव डालने वानी नहीं समझी जायेगी। (2) जब उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी अधिकार के संबंध में राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद उतपन्न हो जाये तो विवाद उपखण्डीय पदाधिकारी द्वारा निश्चित किया जावेगा । इन प्रावधानों के तहत चरनोई भूमि का उल्लेख नहीं ळ । माननीय उच्च न्यायालय फुल बैंच में भी यह अवधारित किया है कि संहिता की धारा 57(1) एवं धारा 57(2) के दावे से कृषि भूमि का संबंध नहीं है । यह दावे धारा 57(1) में [illegible] भूमि के अधिकार के बारे में है, फुल बैंच हाईकोर्ट. म0प्र0 । उक्त प्रावधानों के [illegible]

में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है।

8/ ऊपर की गई विवेचना के आधार पर यह निगरानी आवेदन सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है एवं कलेक्टर, अशोकनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2012 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर